



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श0)  
(सं0 पटना 964) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना सं0-33/2017- राज्य कर (दर)

एस०ओ० 217 दिनांक 31 अक्टूबर 2017—बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं0 13/2017- राज्य कर(दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे गजट सं० -556 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं ,

(i) सारणी में क्रम सं० 9 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,-

“10	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवरसीडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीडिंग कमेटी के सदस्य	भारतीय रिजर्व बैंक।”।
-----	---	---	-----------------------

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-33)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

## 13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 218, एस०ओ० 217 दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-33)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

**The 13<sup>th</sup> October 2017****Notification No.33/2017-State Tax (Rate)**

S.O 217, dated 13<sup>th</sup> October—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 556, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:- In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“10	Supply of services by the members of Overseeing Committee to Reserve Bank of India	Members of Overseeing Committee constituted by the Reserve Bank of India	Reserve Bank of India.”.
-----	--	--	--------------------------

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21/2017-33 )]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary*

*Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण)964-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>